सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 04, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 23, 2022
Phalguna 04, Wednesday , Saka 1943- February 23, 2022

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

सख्या एफ.13(5)विशा/विस/2022 :-राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 जैसा कि दिनांक 23 फरवरी, 2022 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

महावीर प्रसाद शर्मा,
सचिव।

2022 का विधेयक सं. 5

राजस्थान वित्त विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2022 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 4, 5, 6, 7 और 8 के उपबंध, उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 65 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 65 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु यह भी कि" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) इस प्रकार संशोधित द्वितीय परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, इस धारा में उपबंधित परिसीमा अवधि के अवसान के पश्चात् भी पुनरीक्षण को स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिसीमा अवधि के भीतर-भीतर पुनरीक्षण फाइल नहीं करने का पर्याप्त हेतुक था:"।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 17 में, स्तम्भ संख्यांक 2 में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "या सम्पति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो," हटायी जायेगी; और

(ii) विद्यमान अनुच्छेद 35-ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

35-ख. सीमित दायित्व भागीदारी (सीदाभा)-	
(1) किसी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में या विपर्ययेन संपरिवर्तन की लिखत,-	
(क) जहां संपरिवर्तन पर स्थावर संपत्ति पारिणामिक संस्था में निहित हो;	स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत।
(ख) किसी अन्य मामले में।	पांच हजार रुपये।
(2) सीमित दायित्व भागीदारी का पुनर्गठन या समामेलन।	प्रतिफल पर या राजस्थान राज्य के भीतर स्थित अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी की स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर, जो भी अधिक हो, चार प्रतिशत।
(3) सीमित दायित्व भागीदारी के गठन की लिखत,-	
(क) जहां सीमित दायित्व भागीदारी में कोई शेयर अंशदान नहीं है या जहां नकद के रुप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास	दो हजार रुपये।

हजार रुपये से अनधिक है;	
(ख) प्रत्येक पचास हजार रुपये या उसके भाग के लिए, जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अधिक है;	दस हजार की अधिकतम शुल्क के अध्यधीन रहते हुए, दो हजार रुपये।
(ग) जहां ऐसा शेयर अंशदान केवल स्थावर संपत्ति के रुप में किया गया है;	सीमित दायित्व भागीदारी में उस भागीदार के, जो वह संपत्ति लेकर आया था, शेयर के बराबर सं पत्ति के भाग को अपवर्जित करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(घ) जहां ऐसा शेयर अंशदान स्थावर संपत्ति और नकद दोनों के रुप में किया गया है।	नकद के रुप में शेयर अंशदान के भाग पर उप-खण्ड (क) और (ख) के अनुसार और स्थावर संपत्ति के रुप में शेयर अंशदान के भाग पर उप-खण्ड (ग) के अनुसार।
(4) सीमित दायित्व भागीदारी का विघटन,-	
(क) जहां स्थावर सम्पत्ति किसी भागीदार द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के गठन के समय उसके शेयर अंशदान के रूप में लायी गयी हो और विघटन पर ऐसी संपत्ति किसी अन्य भागीदार द्वारा उसके शेयर के रूप में रख ली गयी हो;	वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ख) जहां स्थावर संपत्ति सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा उसके गठन के पश्चात् अर्जित की गयी हो और विघटन पर ऐसी संपत्ति भागीदारों के मध्य वितरित की गयी हो।	सीमित दायित्व भागीदारी में उस भागीदार के, जो विघटन पर वह संपत्ति लेता है, शेयर के बराबर संपत्ति के भाग को अपवर्जित करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(5) भागीदार का निवर्तन,-	
(क) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर संपत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय कोई स्थावर सम्पत्ति नहीं लेता	वही शुल्क जो सीमित दायित्व भागीदारी में निवृत्त होने वाले भागीदार या भागीदारों के शेयर के बराबर सीमित दायित्व भागीदारी की

है;	स्थावर संपत्ति के भाग के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ख) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर संपत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर संपत्ति लेता है, जो उसके द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के गठन के समय, उसके अंशदान के शेयर के रूप में नहीं लायी गयी थी;	वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ग) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर संपत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर संपत्ति लेता है जिसे सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा उसके गठन के पश्चात् अर्जित किया गया था;	सीमित दायित्व भागीदारी में निवृत्त होने वाले भागीदार के शेयर के बराबर संपत्ति के भाग को अपवर्जित करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(घ) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर संपत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर सम्पति लेता है, जो उसके द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के गठन के समय उसके अंशदान के शेयर के रूप में लायी गयी थी;	पांच सौ रुपये।
(ङ) जहां ऐसे भागीदार के निवर्तन के समय सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में कोई स्थावर संपत्ति नहीं है।	पांच सौ रुपये।
(6) किसी अन्य मामले में।	पांच सौ रुपये। "।

अध्याय 3

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 174 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की विद्यमान उप-धारा (2क) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(2ख) उप-धारा (1) के अधीन निरसित किये गये अधिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,-

(i) 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित गलती की कोई परिशुद्धि, निरसित अधिनियमों के अधीन प्रा धिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से या व्यवहारी द्वारा आवेदन करने पर शुरू की जा सकेगी। व्यवहारी द्वारा आवेदन करने की दशा में, उस आवेदन का निपटारा उसके फाइल करने की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर किया जायेगा और जहां ऐसे आवेदन का निपटारा उक्त कालावधि के भीतर-भीतर नहीं किया जाये वहां वह मंजूर कर लिया गया समझा जायेगा;

(ii) 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित निरसित अधिनियमों की किसी भी धारा के अधीन पारित किसी एकपक्षीय निर्धारण या सर्वोत्तम विवेकबुद्धि निर्धारण को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से या व्यवहारी द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को सीधे ही व्यक्तिश: आवेदन प्रस्तुत करने पर पुन: खोला जा सकेगा। व्यवहारी द्वारा आवेदन करने की दशा में, निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारण आदेश के पुन: खोले जाने से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर नया निर्धारण करने की कार्यवाही करेगा; और

(iii) जहां 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) सहित निरसित अधिनियमों के अधीन संदेय किसी रकम की कोई मांग किसी भी समयावधि से बकाया है और कुर्क किये जाने और विक्रीत किये जाने हेतु किसी भी प्रकार की सम्पति के अभाव में अवसूलीय है वहां ऐसे मामलों में ऐसी मांग आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लिखित आदेश द्वारा अपलिखित की जा सकेगी।"।

अध्याय 4

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 52 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 52 में विद्यमान खण्ड (क) से (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा, यदि वह एक लाख रुपये से अधिक की न हो;

(ख) सहायक आयुक्त या, यथास्थिति, वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा, यदि वह पांच लाख रुपये से अधिक की न हो;

(ग) उप-आयुक्त (प्रशासन) द्वारा, यदि वह पांच लाख रुपये से अधिक की हो किन्तु पच्चीस लाख रुपये से अधिक की न हो;

(घ) आयुक्त द्वारा, यदि वह पच्चीस लाख रुपये से अधिक की हो किन्तु पांच करोड़ रुपये से अधिक की न हो; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा, यदि वह पांच करोड़ रुपये से अधिक की हो।"।

अध्याय 5

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन किये गये आदेशों का विधिमान्यकरण

7. कतिपय आदेशों का विधिमान्यकरण.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) के अधीन सम्मिलित माल के संबंध में, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 3) की धारा 9 और 10 द्वारा क्रमश: राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 33 में अंत:स्थापित उप-धारा (4क) और धारा 34 में जोड़ी गयी उप-धारा (3क) के अधीन किया गया कोई आदेश विधिमान्य होगा।

अध्याय 6

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

8. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "नब्बे दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक कलैण्डर वर्ष में एक सौ अस्सी दिन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर पुनरीक्षण फाइल नहीं करने का पर्याप्त हेतुक था, परिसीमा अवधि के अवसान के पश्चात् भी पुनरीक्षण को स्वीकार करने के लिए सशक्त करने हेतु राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अनुच्छेद 17 में विनिर्दिष्ट विक्रय प्रमाण-पत्र पर स्टाम्प शुल्क, क्रय-धन की रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण-पत्र या संपत्ति के बाजार मूल्य (डीएलसी दरों पर आधारित), जो भी अधिक हो, की दर पर प्रभार्य है। चूंकि लोक नीलाम में नीलाम कीमत (क्रय-धन) बाजार मूल्य को दर्शाती है, इसलिए लोक नीलाम में विक्रीत संपत्ति के अंतिम बाजार मूल्य के रूप में क्रय-धन को मान्यता देने हेतु उक्त अनुच्छेद को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

भागीदारी फर्म से संबंधित समान लिखतों के समरुप, सीमित दायित्व भागीदारी के गठन या विघटन की लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क और उसके भागीदारों के निवर्तन से संबंधित उपबंध करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 35-ख के उपबंधों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

2. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) निरसित किया गया था, 01.07.2017 से प्रवृत्त हुआ। तथापि, तदधीन निरसित अधिनियमों से संबंधित एक बड़ी संख्या में मांग और विवाद एकपक्षीय निर्धारण के मद्धे और परिशुद्धि के अभाव में बकाया हैं। इसलिए, निर्धारण प्राधिकारियों को अभिलेख से प्रकट अशुद्धियों की स्वप्रेरणा से परिशुद्धि करने और एकपक्षीय या सर्वोत्तम विवेकबुद्धि निर्धारणों को स्वप्रेरणा से पुन: खोलने के लिए सशक्त करने हेतु राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 में एक नयी उप-धारा (2ख) अंत:स्थापित की जानी प्रस्तावित है। अवसूलीय मांगों को अपलिखित करने की रीति भी विनिर्दिष्ट की जानी प्रस्तावित है।

3. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 52 मांगों को अपलिखित करने के लिए उपबंध करती है। उसमें भिन्न-भिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए भिन्न-भिन्न धन-संबंधी परिसीमाएं विहित की गयी हैं। ये परिसीमाएं अधिनियम की अधिनियमिति के समय नियत की गयी थी और तब से पुनरीक्षित नहीं की गयी है। इसलिए, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का अधिनियम सं. 9) में सम्मिलित नहीं किये गये माल के लिए उक्त धारा के संशोधन द्वारा उक्त परिसीमाओं को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

4. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन किये गये आदेशों का विधिमान्यकरण

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 3) की धारा 9 और 10 द्वारा क्रमश: यथासंशोधित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 की उप-धारा (4क) और धारा 34 की उप-धारा (3क) के अधीन किये गये किसी आदेश को विधिमान्य करने के लिए विधेयक में नया खण्ड प्रस्तावित है।

5. राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक का खण्ड (ii) मोटर यान के उपयोग में नहीं आने के कारण मोटर यान कर का उद्ग्रहण न किये जाने के प्रयोजन के लिए मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अभ्यर्पण के लिए नब्बे दिन की अधिकतम कालावधि का उपबंध करता है। सार्वजनिक सेवा यानों को संचालित करने के अनिवार्य निर्बंधनात्मक आदेशों, मोटर यान के पार्टस की अवरुद्ध आपूर्ति और विभिन्न सेवा केन्द्रों पर यानों की मरम्मत को दृष्टिगत रखते हुए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अभ्यर्पण की अधिकतम कालावधि को नब्बे दिन से एक कलैण्डर वर्ष में एक सौ अस्सी दिन तक विस्तारित किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश
[सं.प. 12(11)वित्त/कर/2022 दिनांक 23.02.2022
प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचालित किये जाने की सिफारिश की है।

राजस्थान विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

महावीर प्रसाद शर्मा,
सचिव।

Bill No. 5 of 2022

(Authorised English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2022

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2022-23 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2022.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 4, 5, 6, 7 and 8 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

3. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 65 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) in the existing second proviso, for the existing expression "Provided further that", the expression "Provided also that" shall be substituted; and

(ii) before the second proviso so amended, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the Chief Controlling Revenue Authority may admit revision after the expiry of the period of limitation provided in this section, if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the revision within the limitation:".

4. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) in Article 17, the existing expression "or market value of the property, whichever is higher" appearing under Column No. 2, shall be deleted; and

(ii) for the existing Article 35-B, the following shall be substituted, namely:-

"	**35-B. Limited Liability Partnership (LLP)-**	
	(1) Instrument of conversion of a firm, a private limited company or an unlisted public limited company into	

limited liability partnership or *vice-versa*,-	
(a) Where on conversion immovable property vests in the resultant entity;	Two percent on the market value of immovable property.
(b) in any other case.	Five thousand rupees.
(2) Reconstruction or amalgamation of limited liability partnership.	Four percent on the consideration or market value of the immovable property of the transferor limited liability partnership located within the State of Rajasthan, whichever is higher.
(3) Instrument of constitution of limited liability partnership,-	
(a) Where there is no share contribution in limited liability partnership or where such share contribution brought in by way of cash does not exceed Rs. 50,000/-;	Two thousand rupees.
(b) Where such share contribution brought in by way of cash is in excess of Rs. 50,000/-, for every Rs.50,000/- or part thereof;	Two thousand rupees, subject to maximum duty of rupees ten thousand.
(c) Where such share contribution is brought in by way of only immovable property;	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the partner in limited liability partnership who brought that property.
(d) Where such share contribution is brought in by way of both immovable property and cash.	As per sub-clauses (a) and (b) on the part of share contribution in the form of cash and as per sub-clause (c) on the part of share contribution in the form of immovable property.
(4) Dissolution of limited liability	

partnership,-

(a) Where the immovable property is brought in by any partner as his share contribution at the time of constitution of the limited liability partnership and such property is taken by any other partner as his share on dissolution;	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property.
(b) Where immovable property is acquired by the limited liability partnership after its constitution and such property is distributed among the partners on dissolution.	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the partner in limited liability partnership who takes that property on dissolution.
(5) Retirement of partner,-	
(a) Where the limited liability partnership owns immovable property and the retiring partner takes no immovable property at the time of his retirement;	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of the part of the immovable property of the limited liability partnership equal to the share of the retiring partner or partners in the limited liability partnership.
(b) Where the limited liability partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was not brought in by him as his share of contribution at the time of constitution of the limited liability partnership;	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property.
(c) Where the limited liability partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was acquired by limited liability partnership after its constitution;	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the retiring partner in limited

		liability partnership.
(d)	Where the limited liability partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was brought in by him as his share of contribution at the time of constitution of the limited liability partnership;	Five hundred rupees.
(e)	Where the limited liability partnership does not own any immovable property at the time of retirement of such partner.	Five hundred rupees.
(6)	In any other case.	Five hundred rupees. ".

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

5. Amendment of section 174, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing sub-section (2A) and before the existing sub-section (3) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(2B) Notwithstanding anything contained in the Acts repealed under sub-section (1),-

(i) any rectification of mistake pertaining to any period upto 30th June, 2017 may be initiated under the repealed Acts, suo-moto by assessing authority or on application by the dealer. In case of application by dealer, it shall be disposed of within ninety days from the date of filing and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted;

(ii) an ex-parte assessment or best judgment assessment pertaining to any period upto 30th June, 2017 passed under any section of the repealed Acts may be re-opened suo-moto by assessing authority or on application by the dealer submitted manually, directly to assessing authority. In case of application by dealer, assessing authority shall proceed to make a fresh assessment within ninety days from the re-opening of assessment order; and

(iii) where a demand of any amount payable under the repealed Acts including the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) pertaining to any period upto 30th June, 2017, has been outstanding for any length of time and is irrecoverable for want of any kind of property for being attached and sold, in such cases, demand may be written off through an order in writing, in the manner specified by the Commissioner, Commercial Taxes.".

CHAPTER IV
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

6. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing clauses (a) to (e) in section 52 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the following shall be substituted, namely:-

"(a) by the Assistant Commercial Taxes Officer, if it does not exceed rupees one lac;

(b) by the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer, as the case may be, if it does not exceed rupees five lac;

(c) by the Deputy Commissioner (Administration), if it exceeds rupees five lac but does not exceed rupees twenty five lac;

(d) by the Commissioner, if it exceeds rupees twenty five lac but does not exceed rupees five crore; and

(e) by the State Government, if it exceeds rupees five crore.".

CHAPTER V
VALIDATION OF ORDERS MADE UNDER THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

7. Validation of certain orders.- Any order made under sub-section (4A) inserted in section 33 and sub-section (3A) added in section 34 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) by sections 9 and 10 of the Rajasthan Finance Act, 2021 (Act No. 3 of 2021) respectively, in respect of goods subsumed under the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017) shall be valid.

CHAPTER VI
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

8. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In clause (ii) of first proviso to sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), for the existing expression “ninety days”, the expression “one hundred eighty days in a calendar year” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

Section 65 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to empower the Chief Controlling Revenue Authority to accept revisions after expiry of limitation period, if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing revision within the period specified in the said section.

At present stamp duty on the certificate of sale specified in Article 17 to the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is chargeable at the rate of conveyance for consideration equal to the amount of the purchase-money or market value of the property (based on DLC rates), whichever is higher. Since in public auctions, auction price (purchase-money) represents market value therefore, the said Article is proposed to be amended to recognize the purchase-money as final market value of the property sold in public auction.

Provisions of Article 35-B to the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998 are proposed to be amended to make the provisions relating to stamp duty payable on instruments of constitution or dissolution of limited liability partnership and retirement of partners thereof, similar to that of the same instruments relating to partnership firms.

2. THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017) which repealed the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), came into force from 01.07.2017. However, a large number of demands and disputes pertaining to the Acts repealed thereunder are outstanding on account of ex-parte assessments and for want of rectification. Therefore, new sub-section (2B) is proposed to be inserted in section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017) so as to empower the assessing authorities to suo-moto rectify the mistakes apparent on the record and suo-moto re-open the ex-parte or best judgment assessments. The manner for writing off irrecoverable demands is also proposed to be specified.

3. THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Section 52 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 provides for write-off of demands. Different pecuniary limits have been prescribed for different levels of officers therein. These limits were fixed at the time of enactment of the Act and have not been revised ever since. Therefore, the said limits are proposed to be increased by amending the said section for goods not subsumed in Rajasthan Goods and Services Tax Act,2017 (Act No. 9 of 2017).

4. VALIDATION OF ORDERS MADE UNDER

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

In order to validate any order made under sub-section (4A) of section 33 and sub-section (3A) of section 34 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 as amended by sections 9 and 10 of the Rajasthan Finance Act, 2021 (Act No. 3 of 2021) respectively, a new clause is proposed in the Bill.

5. THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

Clause (ii) of first proviso to sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 provides maximum period of ninety days of surrender of Certificate of Registration of Motor Vehicle for the purpose of non-levy of Motor Vehicle Tax owing to its non-use. Looking into compulsive restrictive orders to operate public service vehicles, supply restraints of motor vehicle parts and repairs of vehicle at multiple service stations, the maximum period of surrender of certificate of registration needs to be extended from ninety days to one hundred eighty days in a calendar year.

Accordingly, clause (ii) of first proviso to sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प. 12(11)वित्त/कर/2022 दिनांक 23.02.2022

प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषि ती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचालित किये जाने की सिफारिश की है।

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2022-23 and to make certain other provisions..

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.